न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

दावा सं.:—433 / 12

1. सियाराम
2. डालचन्द
3. सुशील — पुत्रगण स्व0 श्री छीतरिया
4. संतोषी
5. उर्मिला पुत्री श्री छीतरिया — जाति ब्राहम्ण नि0
6. निर्मला देवी पत्नि श्री सुरेशचन्द — ग्राम चिकसाना
7. मनोज — तह0 व जिला
8. सुनील — पुत्रगण श्री सुरेशचन्द — भरतपुर
9. दीनदयाल
10. पुष्पेन्द्र
11. हीरा देवी — पुत्रियान श्री सुरेशचन्द
12. शशि
13. हेमलता

.....वादीगण

बनाम

1. मानसिंह — पुत्रगण घनश्याम जाति जाट निवासी ग्राम
2. पूरनसिंह — मडौली तहसील व जिला भरतपुर।
3. मन्दो — पुत्र परसादी जाति बघेला ठाकुर निवासी ग्राम चक हथकोली तह0 व जिला भरतपुर।
4. बच्चूसिंह पुत्र धर्मा
5. अजयसिंह — पुत्रगण बच्चूसिंह नाबालिक वर विलायत माता
6. राजेश — सावित्री जाति धीमर निवासी ग्राम चकहथकोली तह0 व जिला भरतपुर ।
7. अंगूरी पत्नि — बदनसिंह जाति बघेला निवासी ग्राम
8. लच्छो पत्नि — श्रीराम चकहथकोली तह0 व जिला भरतपुर।
9. भजनलाल
10. साहबसिंह — पुत्रगण श्री मूली जाति गडरिया निवासी ग्राम
11. हरफूल — चकहथकोली तह0 व जिला भरतपुर।
12. चन्दन
13. सरमन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14. मोहनसिंह पुत्र मोती जाति धीमर निवासी ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर।
15. भीकमसिंह पुत्र बिरजू जाति गडरिया निवासी ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर।
16. मानपाल पुत्र श्री गिर्राज जाति बघेला निवासी ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर।
17. सुख देव पुत्र अमरसिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर।
18. गुट्टी पुत्र रामसिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर।

19. सुनील कुमार
20. विपिन कुमार

पुत्रगण चन्द्र हंस

21. बहादुर
22. हरभान

पुत्रगण शिवचरन जाति जाट निवासी ग्राम चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।

23. रामश्री पत्नि स्व0 भीमा
24. ओमप्रकाश
25. सुरेशचन्द
26. केशवदेव

पुत्रगण भीमा

27. गीता
28. रामा
29. कुसमा

पुत्रीयान भीमा

30. मुरारी पुत्र जवाहर जाति गडरिया निवासी ग्राम चकहथकोली तह0 व जिला भरतपुर।
31. ओमप्रकाश पुत्र मोती जाति धीमर निवासी ग्राम चकहथकोली तह0 व जिला भरतपुर।
32. ईश्वरी पुत्र घमण्डी जाति गडरिया निवासी ग्राम चकहथकोली तह0व जिला भरतपुर।
33. गंगा देई पत्नि बच्चूसिंह
34. गुड्डी देवी पत्नि बहादुरसिंह
35. मछला देवी पत्नि राजवीरसिंह
36. शकुन्तला पत्नि जनकसिंह
37. मालती पत्नि जयपालसिंह
38. रामवती पत्नि महेन्द्रसिंह
39. महारानी पत्नि महेशचन्द

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

40. सुनीता पत्नि किशनसिंह
41. छिद्दी पुत्र लौहरे
42. महेन्द्र सिंह | पुत्रगण श्री रामसिंह जाति गडरिया नि0
43. महेश चन्द | ग्राम चकहथकोली तहसील व जिला
44. किशनसिंह | भरतपुर।
45. रमेश चन्द | पुत्रगण श्री निनुआ जाति गडरिया नि0 ग्राम
46. रामबीर | चकहथकोली तहसील व जिला भरतपुर।
47. तुला पुत्र तोता जाति गडरिया निवासी ग्राम चकहथकोली तहसील व जिला भरतपुर।
48. बैनी प्रसाद पुत्र श्री हीरालाल जाति गोला निवासी ग्राम चकहथकोली तहसील व जिला भरतपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 88–89–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः–05.02.2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। वादपत्र के अनुसार वादीगण के कब्जे काश्त व हकूक खातेदारी की आराजी पुश्तैनी वादीगण के पूर्वज हरगोविन्द पुत्र सुखलाल के नाम दर्ज थी। वादीगण ने सजरा पेश किया है। सजरा का विवरण निम्न प्रकार है।

हर गोविन्द पुत्र सुखलाल (मृतक)

छीतरिया

सुरेशचन्द (पुत्र मृतक) | सियाराम (पुत्र) | डालचन्द (पुत्र) | सुशील (पुत्र) | संतोषी (पुत्र) | उर्मिलादेवी (पुत्री)

निर्मला देवी (पत्नि) | मनोज (पुत्र) | सुनील (पुत्र) | दीनदयाल (पुत्र) | पुष्पेन्द्र (पुत्र) | हीरादेवी (पुत्री) | शशि (पुत्री) | हेमलता (पुत्री)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सविक आराजी खसरा नम्बर 429 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा, 430 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा, 433 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा किता 3 कुल रकवा 6 बीघा 14 विस्वा बाके ग्राम चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर में स्थित थे जिसके भूप्रबन्ध विभाग ने हाल आराजी खसरा नम्बर 528 रकवा 8 एयर, 529 रकवा 34 एयर, 517 रकवा 10 एयर, 516 रकवा 8 एयर, 530 रकवा 13 एयर, 545 रकवा 28 एयर बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर बनाये हैं। जिन पर वर्तमान में प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं। जबकि उक्त सविक आराजी पर वादीगण के पूर्वज हरगोविन्द पुत्र सुखलाल संवत् 2012 व उससे पूर्व से ही भूमि मालिक व काश्तकार थे और उसी अनुसार अब वादीगण उक्त आराजी पर काबिज व मालिक है। और वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी है। उक्त सविक आराजी में वादीगण के पूर्वज हरगोविन्दसिंह 1/2 के हिस्सेदार थे इसलिये वादीगण उक्त हाल आराजी में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

इसी प्रकार सविक आराजी खसरा नंबरान 769 रकवा 7 बीघा 13 विस्वा, 768 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा, 770 रकवा 9 बीघा 11विस्वा, 771 रकवा 3 बीघा 12 विस्वा बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिसके भू प्रबन्ध विभाग ने हाल आराजी खसरा नंबरान 1237 रकवा 110 एयर, 1238 रकवा 20एयर, 1262 रकवा 119 एयर, 1273 रकवा 100 एयर बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर बनाये है। जिन पर वर्तमान में प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जब कि उक्त सविक आराजी के वादीगण के पूर्वज हरगोविन्द पुत्र सुखलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चिकसाना संवत 2012 पूर्व से व बाद में भूमि मालिक व काबिज काश्तकार थे और उसी अनुसार अब वादीगण उक्त आराजी पर काबिज व मालिक है और वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्राप्त करने के पूण्र अधिकारी है। उक्त सविक आराजी पर वादीगण के पूर्वज हरगोविन्द पुत्र सुखलाल 1/2 हिस्सा के हिस्सेदार थे इसलिये वादीगण उक्त आराजी पर 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

इसी प्रकार सविक आराजी खसरा नम्बर 269 रकवा 9 बीघा 1 विस्वा बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। जिसका भू प्रबन्ध विभाग ने हाल आराजी खसरा नम्बर 337 रकवा 19 एयर बनाया है जब कि सविक आराजी वादीगण के पूर्वज हरगोविन्द पुत्र सुखलाल जाति ब्रहम्ण निवासी चिकसाना संवत 2012 से पूर्व से व

बाद में भूमि मालिक व काबिज काश्तकार थे। इसलिये वादीगण उक्त हाल आराजी पर काबिज काश्तकार है। और राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी है। उक्त हाल आराजी पर प्रतिवादीगण नंबर 9 लगायत 13 के नाम गलत दर्ज है। जिनको कलमजन कराने के अधिकारी है।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 288 रकवा 10 बीघा 319 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा, 320 रकवा 4 बीघा 6 विस्वा बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिसके भू प्रबन्ध विभाग ने हाल आराजी खसरा नंबरान 350 रकवा 17 एयर, 351 रकवा 14 एयर, 446 रकवा 15 एयर, 448 रकवा 15 एयर 451 रकवा 16 एयर, 447 रकवा 20 एयर, 452 रकवा 20 एयर बाके ग्राम चक हथकोली बनाये है जिन पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नंबर 14 लगायत 16 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं जबकि उक्त साविक आराजी के वादीगण के पूर्वज हरगोविन्द पुत्र श्री सुखलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चिकसाना संवत 2012 से पूर्व से व बाद में भूमि मालिक काबिज व काश्तकार थे। इसलिये अब वादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार काबिज व मालिक है और उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार काबिज व मालिक हैं और उक्त आराजी को प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 321 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा के हाल खसरा नंबर 453 रकवा 18 एयर बनाया हे जो प्रतिवादी नंबर 17 के नाम है जब कि यह आराजी वादीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी आराजी है जिसको भी वादीगण कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 328 रकवा 2 बीघा 3 विस्वा का हाल खसरा नंबर 462 रकवा 18 एयर बांके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर है जिस पर प्रतिवादी नंबर 18 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है जो वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसको वादीगण कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबरान 340 रकवा 18 बीघा 18 विस्वा, 341 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा का भू प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नंबर 477 रकवा 78 एयर बनाया गया है जस पर प्रतिवादी नंबर 19 लगायत 22 का नाम राजस्व रिर्काड में अंकित है। जो वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसको भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा 342 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा का हाल खसरा नंबर 426 रकवा 14 एयर बाके ग्राम चक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हथकोली तहसील भरतपुर में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नंबर 23 लगायत 30 के नाम है जब कि यह आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसको वादीगण कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 345 रकवा 9 बीघा 1 विस्वा का हाल आराजी खसरा नंबर 481 रकवा 11 एयर बनाया है। जिस पर प्रतिवादी नंबर 31 का नाम राजस्व रिकार्ड में है जो वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसको भी वादीगण कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी हे।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 483/1 रकवा 3 बीघा 15 विस्वा बाके ग्राम चक हथकोली तहसील भरतपुर में है जिस पर प्रतिवादी नंबर 32 का नाम राजस्व रिकार्ड में है यह आराजी भी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसको वादीगण प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी है।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 484 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा के हाल खसरा नंबर 651 बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिस पर प्रतिवादी गण नंबर 33 लगायत 44 तक के नाम राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित है। यह आराजी भी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसको भी वादीगण प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी है।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 486 रकवा 5 बीघा 1 विस्वा का हाल खसरा नंबर 654 रकवा 31 एयर बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भतरपुर में स्थित है। जिस पर प्रतिवादीगण नंबर 45 व 46 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। यह आराजी भी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर भी वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 488 रकवा 5 बीघा 4 विस्वा का हाल खसरा नंबर 657 रकवा 27 एयर बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित हे। यह आराजी भी वादीगण की पुश्तैनी आराजी हें जिस पर हाल में राजस्व रिर्काड में प्रतिवादी नंबर 23 लगायत 29 के नाम है। इस आराजी को भी वादीगण कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 489 रकवा 10 बीघा 11 विस्वा का हाल खसरा नंबर 655 रकवा 26 एयर बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है।जिसपर प्रतिवादी नंबर 47 का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित है यह आराजी भी वादीगण की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नंबर 316 रकवा 2 बीघा 16 विस्वा का हाल खसरा नंबर 444 रकवा 26 एयर बाके ग्राम चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। जिस पर प्रतिवादी नंबर 48 का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित है। यह आराजी भी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर वादीगण कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

वाद पत्र की चरण संख्या 3 लगायत 17 में वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी हैं जिस पर वादीगण के पूर्वज हरगोविन्द पुत्र सुखलाल भूमि मालिक काबिज व काश्तकार थे इस पर प्रतिवादीगण ने नाम गलत रूप से इद्राज हो गये है। इसलिये वादीगण उक्त आराजी से प्रतिवादीगण के नाम कलमजन कराने के पूर्ण अधिकारी हैं।

वादीगण ने अपने रिकार्ड की छानबीन की और नकल आदि ली और प्रतिवादीगण से दिनांक 20.09.2012 को उक्त आराजी बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानियां धमकी दी कि यह आराजी राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम है। हम वादीगण को आराजी से बेदखल कर देंगे और आराजी को दीगर जगह रहन बय मुन्तकिल कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को एक असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से पूरी नही हो सकेगी और वे वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जावेंगें।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 3 लगायत 17 वाद पत्र में वादी नंबर 1 लगायत 5 को बाहिस्सा बराबर 5/6 हिस्सा व वादी नंबर 6 लगायत 13 को बाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे एवं वादीगण का नाम इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्रज किया जावे। प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दबामी से पावंद किया जावे कि वे वाद पत्र की मद नंबर 3 लगायत 17 में वर्णित आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें। रहन वय मुन्तकिल नहीं करें और नही ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत व हानिकारक प्रभाव पडता है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 24 लगायत 29,14,31, 9 लगायत 13,30,32,4,5,6,7,8,15 लगायत 18 ,33 लगायत 41,43,44,46,47

दिनॉक 04.12.2012 को जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए । अतः जबाव को समय चाहा ।

दौराने दावा दिनॉक 18.03.2013 को प्रतिवादी संख्या 15 भीकमसिंह की ओर से वाद निरस्त करने बावत् प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया । प्रार्थी भीकमसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 42 महेन्द्रसिंह का स्वर्गवास वादपत्र प्रस्तुति के करीव तीन साल पूर्व तथा प्रतिवादी संख्या 45 रमेश चन्द का स्वर्गवास वाद प्रस्तुति के करीव आठ माह पूर्व हो चुका है। इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जो कि चलने योग्य नहीं है । अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जावे ।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की वहस सुनी तथा मनन किया। प्रार्थना पत्र दिनॉक 18.03.2013 का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि वादीगण ने वाद प्रतिवादी संख्या 42 महेन्द्रसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 45 व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया है । प्रतिवादी संख्या 42 महेन्द्रसिंह का स्वर्गवास वाद पत्र प्रस्तुति के करीव 3 साल पूर्व तथा प्रतिवादी संख्या 45 रमेश चन्द का स्वर्गवास वाद पत्र प्रस्तुति के करीव 8 माह पूर्व हो चुका है । इस प्रकार यह वाद मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया है । अतः खारिज किया जाए ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय की आदेशिका का अध्ययन किया । अप्राथीगण(वादीगण)ने प्रार्थना पत्र दिनॉक 18.03. 2013 का जबाव प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के लगभग 3 वर्ष पश्चात् 18.02.2016 को वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 42,45 के फौत होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 पेश किया तथा उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की प्रार्थना की । प्रार्थना आदेश 22 नियम 04 में प्रतिवादी सं0 42 व 45 की मृत्यु दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। ना ही इसके समर्थन में मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

यह विधि का एक सुस्थापित तथ्य है कि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध वाद नही लाया जा सकता है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद कारण किस प्रकार उत्पन्न होगा यह समीक्षा का विषय है। "वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 19 में लिखा है कि दिनांक 20.09.2012 को प्रतिवादी गण ने ऐलानियां धमकी दी कि यह आराजी राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम है। हम वादीगण को आराजी से वेदखल कर देगें और आराजी को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दीगर जगह रहन, वय, मुन्तकिल कर देगें।" मृत व्यक्ति क्या किसी जीवित व्यक्ति को ऐलानियां धमकी देने में सक्षम है ?

प्रस्तुत प्रकरण में एक मिनिट के लिय यह मान भी लिया जाये कि प्रकरण में प्रतिवादियों की संख्या बहुत अधिक है। तथा असावधानी या भूलवश प्रतिवादी संख्या 42 व 45 के फौत होने की जानकारी नही मिल पायी तथा दावे में उनका उल्लेख कर दिया गया तो भी निम्न तथ्य वादीगण के विरूद्ध जाते हैः—

1. प्रार्थना—पत्र दिनांक 18.03.2013 द्वारा वादीगण की जानकारी में आ गया था कि प्रतिवादी संख्या 42 व 45 दावा दायर करने से पूर्व फौत हो चुके है।
2. वादीगण की जानकारी में आने के पश्चात् उन्होने प्रार्थना —पत्र दिनांक 18.03.2013 का जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा बहस में भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया।
3. जानकारी में आने के पश्चात् 90 दिन के अन्दर विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत की जानी चाहिये थी किन्तु लगभग 3 वर्ष पश्चात् प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी प्रस्तुत किया इस प्रार्थना पत्र में भी प्रतिवादी संख्या 42 व 45 की मृत्यु तिथि का उल्लेख नहीं किया साथ में दावा करने से पूर्व मृतकों का मृत्यु प्रमाण पत्र या शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2013 स्वीकार किये जाने योग्य पाते है। हमारे न्यायिक मत में दावा वादीगण अवेटमैन्ट में खारिज किया जाना उचित होगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है कि :—

दावा वादीगण अवेटमैन्ट में खारिज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनॉक 05.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर